

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

2022

294

क्रमांक -रीडर/ 2022/270

मुकदमा नंबर 195/2022

दिनांक :- 26/8/2022

प्रार्थीगण	बनाम	विप्राथीगण
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. खीमाराम पुत्र राणाराम</li> <li>2. धर्माराम पुत्र राणाराम</li> <li>3. चम्पाराम पुत्र राणाराम</li> <li>4. जोगाराम पुत्र भूराराम</li> <li>5. रामाराम पुत्र भूराराम</li> <li>6. मोहनराम पुत्र भूराराम</li> <li>7. हीरो पत्नी भूराराम</li> <li>8. रतनाराम पुत्र चैनाराम</li> <li>9. सुआ देवी पत्नी ताराराम</li> <li>10. मंजू देवी पत्नी ताराराम</li> <li>11. पूजा पुत्री ताराराम जाति भील नाबालिंग जरिये कुदरती माता मंजूदेवी पत्नी ताराराम सभी निवासियान आकडली बक्सीराम तहसील पचपदरा जिला बाडमेर</li> <li>12. मांगीलाल पुत्र मोहनराम जाति भील निवासी सांभरा तहसील पचपदरा बाडमेर।</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अविनाश पुत्र ओमप्रकाश जाति महेश्वरी निवासी महेश्वरी वास पचपदरा</li> <li>2. रामाराम पुत्र अचलाराम</li> <li>3. नारणाराम पुत्र अचलाराम</li> <li>4. चैनाराम पुत्र गोकलाराम</li> <li>5. देवाराम पुत्र गोकलाराम</li> <li>6. केशाराम पुत्र कुंभाराम</li> <li>7. गौदूराम पुत्र कुंभाराम</li> <li>8. रावताराम पुत्र गिरधारीराम</li> <li>9. पेमाराम पुत्र टीकमाराम</li> <li>10. खेताराम पुत्र भेराराम सभी जातियान जाट निवासीयान साजियाली तहसील पचपदरा।</li> <li>11. गोविन्दसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत निवासी बीजेस कॉलोनी जोधपुर</li> <li>12. रामाराम पुत्र रावताराम जाति मेगवाल निवासी आकडली बक्सीराम पचपदरा।</li> <li>13. रणजीतसिंह पुत्र बाबुलाल जाति जाट निवासी नांगला बक्ता तहसील नंदबई जिला भरतपुर।</li> <li>14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा, जिला बाडमेर।</li> </ol>

आदेश

दिनांक :- 26.8.2022

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आकडली बक्सीराम पटवारी क्षेत्र आकडली मू-निरीक्षक क्षेत्र दूदवा तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं० 87 रकबा 52 बीघा 12 विस्वा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पथगद्दी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमिश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र

निर्धारित किया जाता हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।



क्रमांक /रीडर/ 2022/271

प्रतिलिपि :-

तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवाये।

(नरेश सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

दिनांक :- 26/8/22

उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा